आवश्यक

संख्या: 62/2019/3504/12-2-2019-एफ.42/2001

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/बिजनौर/मुरादाबाद/रामपुर/बरेली/पीलीभीत/लखीमपुर खीरी/ बहराइच/श्रावस्ती/गोण्डा/बलरामपुर/सिद्धार्थनगर/बस्ती/महराजगंज/गोरखपुर/कुशीनगर/ देवरिया/बलिया/गाजीपुर/चन्दौली/सोनभद्र/मिर्जापुर/प्रयागराज/चित्रकूट/बांदा/हमीरपुर/ महोबा/झांसी/ललितपुर/जालौन/इटावा/फिरोजाबाद/आगरा/मथुरा/अलीगढ/गौतमबुद्ध नगर/गाजियाबाद/बागपत एवं शामली।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2019

विषय: अन्र्तराष्ट्रीय एवं अन्र्तराज्जीय सीमाओं के निकटवर्ती जनपदों में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की सघन निगरानी किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में वर्तमान में रबी सीजन के अन्तर्गत फसलों की बुवाई का कार्य कृषकों द्वारा त्वरित गति से किया जा रहा है तथा माह नवम्बर में बोई गई फसलों में प्रथम टॉप ड्रेसिंग के दृष्टिगत जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध उर्वरकों का कृषकों में वितरण पर सतर्क दृष्टि बनाये रखने की आवश्यकता है ताकि प्रदेश के बाहर उर्वरक न जाने पाए। उक्त के साथ ही उर्वरकों की शीर्ष मांग के समय असामाजिक तत्वों द्वारा उर्वरकों का अवैध परिसंचलन का भी प्रयास किया जाता है जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं उर्वरक परिसंचलन (नियंत्रण) आदेश, 1973 का उल्लंघन है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या: 2438/12-2-2019-एफ.42/2001 दिनांक 14 अगस्त, 2019 द्वारा भारत-नेपाल सीमा से 05 कि0मी0 क्षेत्र के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में उर्वरकों की बिक्री हेतु उर्वरक निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत न किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। अत: आवश्यकतानुसार पुलिस एवं स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की सहायता से अन्र्तराष्ट्रीय/अन्र्तराज्जीय सीमाओं पर सतर्क दृष्टि रखी जाए एवं उर्वरकों (विशेष कर यूरिया उर्वरक) के अवैध परिसंचलन में संलिप्त पाए जाने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध उक्त आदेश/अधिनियमों के तहत सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि सीमावर्ती जनपदों के कृषकों को समयान्तर्गत उनकी मांग के अनुसार उर्वरक सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराया जा सके।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 62/2019/3504/12-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, एस0आई0बी0, 11वॉ तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक, इन्टेलीजेंस ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबंधक, पी0सी0एफ0/यू0पी0एग्रो/गन्ना संघ/औद्यानिक संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. संबंधित मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।